

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांक:- 402 /आर.एस.एल.ए./2020
सेवा में,

दिनांक:- 16/3/2020

श्री अंचित भावसर
टैरीटरी मैनेजर (रिटेल)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०
बरेली।

विषय:- जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग-33) मार्ग के चौ 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के गाटा संख्या 386 पर लो०नि० की सड़क की नाली पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग की अनुमति के सम्बंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र दिनांक ...

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में उक्त मार्ग चैनेज 0.609 से 0.633 तक गाटा संख्या पर पुलिया पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन लीज की जाती है।

1. निर्माण से पूर्व पहुंच मार्ग हेतु संरक्षित वन भूमि मार्ग के किनारे के रौपड़ के गैर वानिकी उप एवं वान्धक वृक्षों के पालन की अनुमति भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय उपवन सं केन्द्रीय/क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र से प्राप्त करना आवश्यक होगा।
2. मानचित्रों के अनुसार ही नाली, पुलिया एवं पहुंच मार्ग का निर्माण करना होगा।
3. पुलिया के स्लैब की ऊपर सतह लो०नि०वि० मार्ग की लेपन सतह से 30 सेमी नीचे रखनी होगी।
4. पुलिया का निर्माण कराते समय पानी के निकासी में किसी प्रकार की बाधा नहीं डाली जायेगी।
5. भू-भाग के सामने वाले भाग में नाले की सफाई आदि का प्रबन्ध समय-समय पर आपको करना होगा, जिससे पानी की निकासी अवरुद्ध न हो पाये।
6. पुलिया का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात इस विभाग को लिखित में सूचित करना आवश्यक होगा।
7. अन्य शर्तें आपके द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध के अनुसार होंगी।

आपका लीज क्रमांक (60) पर पंजीकृत किया जाता है।

संलग्नक:- मानचित्र एक प्रति मूल में।

पत्रांक:- /आर.एस.एल.ए./2020

प्रतिलिपि - सहायक अभियन्ता-1, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामपुर
दिनांक:-
Achant Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
रामपुर

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर

पत्रांक:- 997/51काम-रा0वृत्त/19-20

दिनांक:- 26/5/2020

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।

विषय:- जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग-32) मार्ग के चै0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुर, जिला-रामपुर के गाटा संख्या 386 पर रिटेल आउट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर के पत्रांक 396/आर0एस0एल0/2020 दिनांक 13.03.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रस्तावित जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग-32) मार्ग के चै0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुर, जिला-रामपुर के गाटा संख्या 386 पर रिटेल आउट (पेट्रोल पम्प) लगाये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर ने सन्दर्भित पत्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त अनापत्ति हेतु संस्तुति सहित मानचित्र संलग्न करते हुए पूर्ण प्रकरण इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर पूर्ण प्रकरण दो मानचित्रों के साथ अग्रिम व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्नक:-
1. एनेकजर एवं चैक लिस्ट।
 2. मानचित्र दो प्रति मूल में।
 3. भू0-स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी/सेल डीड।
 4. लीज डीड एग्रीमेन्ट दो प्रतियों में।
 5. जिलाधिकारी, रामपुर का पत्र दि0-187/न्याय सहायक- II दि0-23.10.2019।
 6. अधि0 अभि0 के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति।

(वीरेन्द्र कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता,

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26/5

Account Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0, रामपुर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रामपुर

पत्रांक:-
सेवा में,

396

/आर0एस0एल0ए0

दिनांक:-13/3/2020

अधीक्षण अभियन्ता,
रामपुर वृत्त, लो0नि0वि0,
रामपुर।

विषय:-

जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख जिला मार्ग-33) मार्ग के चौ 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के गाटा संख्या 386 पर रिटेल आउट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

जिलाधिकारी, रामपुर का कार्यालय पत्र सं0 267 / न्याय सहायक-1। दिनांक 01/1/2020

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त मानचित्रों का सत्यापन उपरान्त इस आशय से प्रेषित किये जा रहे हैं कि प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सामने मार्ग की स्थायी भूमि 18.28 मी0 सड़क की मध्य रेखा से एक ओर प्रमाणित की जाती है। तथा आवेदक द्वारा सड़क की मध्य रेखा से एक ओर 18.30 मी0 की लम्बवत दूरी पर रिटेल आउटलेट को स्थापित करने की अनुमति चाही है। अतः उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 के नियम-6(1) में निहित प्राविधानों के अनुसार मार्ग की मध्य रेखा से 18.30 मी0 की लम्बवत दूरी पर प्रस्तावित निर्माण की अनुमति दिये जाने की संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है।

1. मानचित्र मानक के अनुसार बने है।
2. प्रस्तावित निर्माण अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है।
3. आवेदक के विरुद्ध उक्त प्रस्तावित स्थल सम्बन्धी उ0प्र0 रोड साइड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट 1945 की धारा - 13(1) अथवा 13(2) के अन्तर्गत कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है अन्य किसी प्रकार के वाद एवं विवाद के सम्बन्ध में आवेदक स्वयं उत्तरदायित्व होगा।
4. प्रस्तावित निर्माण स्थल पालिका की सीमा के अन्दर है।
5. प्रस्तावित स्थल बिलासपुर मिलक मार्ग के कि0मी0 चौ 0.609 के मध्य स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल कृषि योग्य भूमि पर बनाया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. रिटेल आउटलेट की सर्विस रोड के लिए 1.00 कि0मी0 की दूरी तक कोई सर्विस बेरियर नहीं है।
8. बफर स्ट्रिप 7.50 मी0 लम्बाई एवं 3.00 मी0 चौड़ाई तथा रिटेल आउटलेट पर वाहनों का प्रवेश एवं निकास कवर्स की चौड़ाई 8.25 मी0 है।
9. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण आई0आर0सी0 कोड सं0-12-2009 के अनुसार किया जाये।
10. आवेदक को प्रस्तावित निर्माण कार्य की मध्य रेखा से बफर स्ट्रिप 18.30 मी0, पम्प 27.30 मी0, 33.30 मी0 एवं भवन निर्माण 46.84 मी0 की दूरी पर नक्शे में प्रदर्शित हैं।

- (क) आवेदक को पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति मिलने के उपरान्त अपने निजी खर्च से मान चित्रानुसार ओपन ड्रेन (नाली) एवं दोनों ओर पुलिया एवं पहुँच मार्ग का निर्माण लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुसार कराना होगा। 10 वर्षों के लिए लीजडीड एग्रीमेन्ट निर्धारित प्रपत्र (Annexure-3) पर फर्म से प्राप्त कर लिया गया है प्रार्थी का लीजडीड एग्रीमेन्ट संलग्न है।
- (ख) आवेदक को यह सुनिश्चित कराना होगा, कि पेट्रोल पम्प लगाने के पूर्व व पश्चात मार्ग पर किसी प्रकार से यातायात के संचालन में अवरोध उत्पन्न न होने पाये।
- (ग) आवेदक द्वारा किसी भी दशा में स्वयं के इस्तेमाल एवं वर्षाती पानी का बहाव इस प्रकार कराना होगा कि पानी बिना किसी अवरोध के सीधा नाली में ही आये तथा किसी भी दशा में रिटेल आउटलेट का पानी मार्ग की सतह पर नहीं आना चाहिए एवं नाले को बन्द नहीं किया जायेगा।

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Raigarh Territory

- (घ) फिलिंग स्टेशन की सतह को मार्ग की लेपित सतह से 0.30 मी० नीचा रखा जायेगा।
11. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग पर 1.00 मी० स्पान की आर०सी०सी० पुलिया का निर्माण लो०नि०वि० की विशिष्टियों के अनुरूप कराना होगा तथा निर्मित की जाने वाली पुलियों के बीच रोड साइड खन्ती में 1.00 मी० चौड़ाई का ड्रेन बनाकर ऊपर स्टील पाइप के कैंटिल केयर बना दिया जाये ताकि रोड का पानी सुरक्षा एवं सुविधापूर्वक रोड साइड ड्रेन से होकर आगे प्राकृतिक नाली/नाले में बह सकें। किसी भी दशा में नाली/नाले को बन्द न किया जायेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि पानी किसी भी दशा में सड़क पर न आने पाये।
 12. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग का ढाल लो०नि०वि० मार्ग से पुलिया की ओर होगा तथा पुलिया आई०आर०सी० 13 के अनुसार निर्मित की जायेगी।
 13. बफर स्ट्रिप के फास ग्रीन हैजिज की ऊँचाई 60.00 सेंमी से ऊपर न रखी जाये।
 14. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प का निर्माण लो०नि०वि० मार्ग की स्थायी भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री इस सीमा में न रखी जाये। मार्ग के मध्य प्रस्तावित मानचित्र दर्शित दूरियों को परिवर्तित नहीं किया जायेगा।
 15. प्रस्तावित स्थल के ऊपर 100 मी० दोनों ओर कोई रोड क्रासिंग नहीं होनी चाहिए।
 16. यदि निर्माण स्थल की भूमि पर न्यायालय का कोई विवाद विचाराधीन हो, तो ऐसी स्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
 17. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प से सम्बन्धित निर्माण कार्य कराने से पूर्व आवेदक को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रामपुर से लाइसेंस डीड कराना आवश्यक होगा।
 18. भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग उत्तरदायी नहीं होगा, जिसका सत्यापन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक होगा।
 19. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो आवेदक को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिए किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक आर०डब्ल्यू०/एन०एच०-33023-19/99-डी०ओ० तृतीय दिनांक 31.08.2000, 25.09.2003 एवं 17.10.03 में दी गयी गाइडलाइनों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
 20. उक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या-1882/23-12-19-1365/17टीसी दिनांक 04.12.2019 के अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिंग रू० 3,00,000/- (रू० तीन लाख मात्र) एक मुश्त लाइसेंस के रूप में एवं अहस्तान्तरणीय प्रोसेसिंग फीस के रूप में मुबलिंग रू० 10, 000/- (रू० दस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट प्राप्त कर ली गयी है। (छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु प्रस्तुत है।)

संलग्नक:-

1. मानचित्र तीन प्रतियों में।
2. एनक्जर एवं चैक लिस्ट।
3. भू-स्वामित्व की छायाप्रति, खतौनी/सेल डीड।
4. लॉज डीड एग्रीमेन्ट तीन प्रति में।
5. जिलाधिकारी, रामपुर का संदर्भित पत्र।

पत्रांक:- /आर०एस०एल०ए०
प्रतिलिपि -

1. प्रभारी अधिकारी, संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता-1, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. खण्डीय कैशियर, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रामपुर को डीड डीड प्राप्त करने हेतु प्रेषित।

Ashut Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bardilly Territory


अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०,
रामपुर
दिनांक:- 12/3/2020

कार्यालय मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, मुरादाबाद

पत्रांक :- 2158 /154एम-मु0क्षे0/20-21

दिनांक- 20.7.2020

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
रामपुर।



विषय :- जनपद रामपुर में बिलासपुर मिलक (प्रमुख-जिला मार्ग-33) मार्ग के चौ0 0.609 के बिलासपुर खास, तहसील-बिलासपुर, जिला रामपुर के गाटा सं0-386 पर रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत्, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-997/51काम-रा0वृत्/19-20 दिनांक 26.05.2020

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों यथा प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख, चेकलिस्ट एवं मानचित्र के आधार पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।


1. मार्ग के मध्य बिन्दु से दोनो ओर 220 फीट की दूरी तक कोई भी स्थायी निर्माण न किया जाये।
2. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर मार्ग के मध्य बिन्दु से मानचित्र में दर्शायी गयी 18.30 मी0 की दूरी के बाद ही अस्थायी निर्माण किया जाये। (विस्तृत मानचित्र संलग्न)
3. विभिन्न मद का निर्माण कार्य गाईडलाइन के पृष्ठ सं0-24 के अनुसार मानचित्र में दर्शायी गयी माप एवं मानक विशिष्टियों के अनुरूप ही सम्पादित किया जाये।
4. समस्त निर्माण, मार्ग की स्थाई भूमि के बाहर अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जाये तथा निर्माण सामग्री का एकत्रीकरण मार्ग की स्थायी भूमि पर कदापि न किया जाये।
5. प्रस्तावित स्थल बिलासपुर मिलक मार्ग के कि0मी0 चौ0 0.609 के बायीं ओर स्थित है।
6. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर आने जाने हेतु पहुँच मार्ग का निर्माण (संलग्न मानचित्र) के अनुसार निर्धारित मानकों के अनुसार आवेदक को स्वयं अपने निजी व्यय पर करना होगा।
7. रिटेल आउटलेट से पानी की समुचित निकासी हेतु पुलिया व नाली के निर्माण से सम्बन्धित ले आउट प्लान, पुलिया व नाली की परिकल्पना लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुसार की जाये तथा इसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित अधिशाली अभियन्ता से कराना होगा।
8. रिटेल आउटलेट की स्थापना के फलस्वरूप यातायात की सुरक्षा हेतु आवश्यक साईनबोर्ड एवं रोड मार्किंग की व्यवस्था आवेदक को निजी व्यय पर कराना होगा।
9. भू-स्वामित्व का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में प्रस्तावित स्थल पर रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु दी गयी अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी, भूमि के स्वामित्व का परीक्षण राजस्व विभाग द्वारा ही किया जाना है।
10. लोक निर्माण विभाग मार्ग के चौड़ीकरण के समय यदि पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य हेतु पम्प आदि को शिफ्ट करने की आवश्यकता हुई तो प्रार्थी को अपने खर्चे पर ही कार्य कराना होगा। इस क्षति के लिये किसी भी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायेगा। उक्त परिस्थिति में निर्गत अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जाएगी तथा आवेदन को पुनः अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
11. मार्ग के प्रयोग में लाये जाने हेतु यदि भविष्य में कोई किराया निर्धारित किया जाता है तो उसका वहन सम्बन्धित कम्पनी द्वारा किया जायेगा।
12. अनापत्ति प्रमाण पत्र लाईसेंस डीड के हस्ताक्षर उपरान्त 10 वर्ष के लिए वैध होगा। लीज डीड के वैधता तिथि के 06 माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदक का समस्त दस्तावेजों सहित पुनः आवेदन करना होगा।

13. शासनादेश में निहित प्राविधानुसार लाइसेंस फीस रू0 3.00 लाख एवं प्रोसेसिंग फीस रू0 10,000.00 जमा करायी जाये।
14. शासन एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-2) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
15. नीति निर्देशों को उच्च स्तर से किन्हीं अन्य प्रकार से व्याख्यापित किया जाता है, तो उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।
16. शासनादेश सं0-1882/23-12-19-1365/17टी0सी0 दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 द्वारा निर्गत गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
17. पहुंच मार्ग के निर्माण की विशिष्टियों शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार प्राविधानित किया जाएगा। विशिष्टियों एवं इसके प्रयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों को सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता से पूर्व से ही अनुमोदित कराना होगा।
18. भविष्य में मार्ग की श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो अनापत्ति पर तत्सम्बन्धी मानक लागू होंगे एवं इस हेतु पुनः नई अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
उपरोक्त समस्त प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्न:- 1-मानचित्र एक प्रतियों में।

2-एनक्जर एवं चैक लिस्ट।

3-अधी0अभि0, रामपुर का पत्र सं0-997/51काम-
रा0वृत/20 दि0 26.05.2020 के पत्र की छाया प्रति।


(विनय प्रकाश)
मुख्य अभियन्ता

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रामपुर वृत, लो0नि0वि0, रामपुर का पत्रांक-997/51काम-
रा0वृत/19-20 दिनांक 26.05.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता
मुरादाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0,
मुरादाबाद।


Achin Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory